भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3281
20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम-II/ईवी राजसहायता-उपयोग और प्रभाव

3281. **श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान फेम-II के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार वितरित की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार किन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को समर्थन दिया गया है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पात्रता या दुरुपयोग से संबंधित उठाए गए मुद्दों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फ़ेम-II स्कीम के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में खरीदारों को दी गई सब्सिडी (मांग प्रोत्साहन) का वर्ष-वार और श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:-

राशि करोड़ रुपए में

ईवी श्रेणी	**वित्तवर्ष 2022-23**	**वित्तवर्ष 2023-24**	**वित्तवर्ष 2024-25**	**श्रेणी कुल**
ई-दुपहिया	1,088.10	2,869.63	536.22	4,493.95
ई-तिपहिया	128.37	567.21	264.25	959.83
ई-चौपहिया	51.02	304.17	137.41	492.6
वित्तवर्ष कुल	1,267.49	3,741.01	937.88	5,946.38

इस स्कीम के तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अखिल भारतीय स्तर पर मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान फ़ेम-II के तहत सहायता प्राप्त (प्रदत्त मांग प्रोत्साहन) इलेक्ट्रिक वाहनों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

ईवी श्रेणी	फ़ेम-II स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त वाहनों की संख्या			
	वित्तवर्ष 2022-23	**वित्तवर्ष 2023-24**	**वित्तवर्ष 2024-25**	**कुल**
ई-दुपहिया	2,27,563	8,04,175	2,58,641	12,90,379
ई-तिपहिया	22,169	76,183	34,436	1,32,788
ई-चौपहिया	2,200	12,380	5,984	20,564
कुल	**2,51,932**	**8,92,738**	**2,99,061**	**14,43,731**

इस स्कीम के तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है; इसलिए यह डेटा केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए फ़ेम-II के तहत 17 मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच के बाद, छह मूल उपकरण विनिर्माताओं को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इन छह मूल उपकरण विनिर्माताओं में से तीन से ब्याज सहित पूर्ण मांग प्रोत्साहन की वसूली कर ली गई है, जबकि शेष तीन मूल उपकरण विनिर्माताओं, जिन्होंने गलत तरीके से प्राप्त प्रोत्साहन राशि सरकार को वापस करने से मना कर दिया था, को वित्तवर्ष 2023-24 में फ़ेम- II स्कीम से गैर-पंजीकृत कर दिया गया है।

मुद्दों की जांच मूल उपकरण विनिर्माता-वार की जाती है। फ़ेम-II के तहत रिपोर्ट किए गए मुद्दों के लिए कोई राज्य-वार डेटा नहीं रखा जाता है। फ़ेम-II स्कीम 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है।

******